न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 188 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 241
दायर दिनांक :— 28.12.2023 निर्णय दिनांक :— 02.01.2025

1. उगमसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर, जैमला तह. बाप जिला फलोदी
2. मनोहरसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर, जैमला तह. बाप जिला फलोदी
3. हिम्मतसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर, जैमला तह. बाप जिला फलोदी
4. सुगनसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर, जैमला तह. बाप जिला फलोदी
5. पेम्पसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर, जैमला तह. बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. सहायक अभियंता खनिज विभाग बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

—प्रार्थी / प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

सहायक कलक्टर ★ बाप जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण / अप्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी / अप्रार्थी सं. 1

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगणों को हर वर्ष समय—समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षो तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा सरकारी भूमि पर लम्बे समय से खातेदारी अधिकार घोषित किये जानें की मांग की गई है जबकि समय—समय पर माननीय हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से वादी को Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है तथा गिरदावरी रिपोर्ट से किसी भी खातेदार को खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हो सकते है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य कोई आधार मौजूद नहीं होने से उपरोक्त अनवान का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं है तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में वादी का वाद इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी / वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का जवाब न पेश करते हुये बहस करने का निवेदन किया। बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। पत्रावली में सलंग्न वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, नक्शा लट्ठा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एंव निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादपत्र अनुसार वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में वादीगण का सरहद मौजा जैमला वर्तमान नवसृजित ग्राम भोजनगर पटवार मण्डल शेखासर के खसरा नम्बर 25 रकबा 20.9303 हैक्टेयर में से 50–00 बीघा भूमि सलग्न नजरी नक्शा अनुसार जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काश्त है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल शेखासर भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादीगण को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये वादीगण ग्राम भोजनगर पटवार मण्डल शेखासर के खसरा नम्बर 25 रकबा 20.9303 हैक्टेयर में से 50–00 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

तहसीलदार बाप के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादकारण नहीं पैदा होने के कारण, प्रथम दृष्ट्या वाद साबित नहीं होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तहसीलदार बाप के अनुसार विधि के प्रावधानानुसार समय–समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल किया जाता रहा है। 'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है:–

i. आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरूद्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य–माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

ii. आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011– इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to advrse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

iii. आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018– इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

iv. बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990— प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरुद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू-धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तों के अध्याधीन है। यदि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

2. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 18 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादी ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, वादीगण को वादकारण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं है।

प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

> ***11. Rejection of plaint.-*** *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
> *(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.*
>
> ***Provided that*** *the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

1. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:—

> **While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated**

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

2. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैः–

   1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
   2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
   3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नहीं करना।
   4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
   5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
   6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

<u>Object</u>

3. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के <u>उद्देश्य (Object)</u> के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that <u>if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted.</u>

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

4. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

<u>The whole purpose of confernment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent.</u> The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection.

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised.

Role of the Court/Judge

6. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, be should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is also resourceful enough to meet such men, and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what

सहायक कलेक्टर
बाप (फलादी)

George Bernard Shaw remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.**

Material to be considered

8. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.**

सहायक कलक्टर ... जिला फलोदी (राज.)

Test

9. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.**

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. <u>The test is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed</u>." In Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.5 the Court further held that it is not permissible to cull out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked into. The plaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words.

<u>How to read and examine the plaint</u>

10. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 06.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **<u>If on a meaningful reading of the plaint</u>, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra.**
>
> **A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh,13 held that the <u>Court must examine the plaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts</u>, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted**

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **<u>There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various</u>**

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

paragraphs in the plaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities.

Essence

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 330/2010 उनवान *Ram Kripal Das Ji Charitable Trust vs Phool Chand* मे दिनांक 29.02.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के *सारांश* (Essence) को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

11. Before dealing with the factual scenario, the spectrum of Order 7 Rule 11 in the legal ambit needs to be noted. The legal position in regard to Order 7 Rule 11 CPC may be summerised as below:

(i) The relevant facts which need to be looked into for deciding an application under Order 7 Rule 11 are the averments made in the plaint. The trial Court can exercise the power at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order 7 Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.

(ii) The basic question to be decided while dealing with an application filed under Order 7 Rule 11 of the Code is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 of the Code.

(iii) The Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order 7 Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code.

(iv) For deciding such an application not any particular plea has to be considered, and the whole plaint has to be read. Only a part of the plaint cannot be rejected and if no

जिला फलोदी (राज.)

कलेक्टर
बाप (फलोदी)

cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected.

(v) Rule 11 of Order 7 CPC lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of the written statement. Instead, the word "shall" is used, clearly implying thereby that it casts a duty on the court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the various clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. Even if no objection is taken by the defendant by filing an application under this provision, the court itself is empowered to reject the plaint if it finds that the case is covered within the four corners of this provision.

(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

13. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत वाद को रेस–ज्यूडिकेटा से संबंधित विधि द्वारा वर्जित बताया गया है। इस संबंध में (Barred by Law) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है।

<u>Barred by Law</u>

14. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान ***M.Nelson Babu* vs *K.Kamalesh Babu***में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **11. <u>Order 7 Rule 11(d) has limited application</u>. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction.**

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into.

15. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises*में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well.*

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। वादीगण का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

02/01/25

(सुखाराम पिंडेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)